राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–203/2015

ओमप्रकाश शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय राज टाटीया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये जाने पर प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर आदेश दिनांक 15.03.1989 के द्वारा नियुक्ति दी गई। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 28.03.1989 को अपीलार्थी ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बमोरीधाटा तह. छीपाबड़ोद, कोटा में कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 08.12.1994 के द्वारा अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 04.07.1995 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 1994–95 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–327 पर था। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.05.1997 के द्वारा अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 18 में पदोन्नति दी गई। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.07.1997 को कार्यग्रहण किया। राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न जिलो में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानो के प्रधानाचार्यो की नियुक्ति के लिए विशेष चयन प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानो में प्राचार्य, उपप्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक का विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्ते नियम 2005 बनाये गये। जिसके नियम–10 के अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा अपीलार्थी का चयन प्रधानाचार्य डाइट के पद पर किया गया। जिस संबंध मे विभाग द्वारा दिनांक 30–7–2008 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में विपक्षी द्वारा कार्यग्रहण करने बाबत आदेश जारी किया गया उक्त आदेश की पालना में अपीलाथी ने दिनांक 14–8–2008 को कार्यग्रहण किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 6–6–2013 को एक आदेश पारित कर

प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद के अधिकारियों को कार्मिया विभाग की सहमति के आधार पर पातेय वेतन पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर पदस्थापन एवं कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारियो के स्थानांतरण उसके नाम के सम्मुख बाबत आदेश पारित किया गया। उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कोटा द्वारा आदेश दिनांक 4–12–2008 पारित कर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन लेखाधिकारी द्वारा किए जाने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण नियमानुसार किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 26–7–2013 को एक आदेश विपक्षी–2 के आदेश दिनांक 3–4–2013 की पालना में पारित किया गया कि वह सम्पूर्ण अतिरिक्त वेतन वसूलनीय है, जबकि विभाग द्वारा नियमानुसार आदेश प्रदान किया गया था। विभाग द्वारा दिनांक 14–10–2014 को आदेश राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर 2013–14 एवं 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर पदोन्नति बाबत जारी किया गया। जिसमे अपीलार्थी को 3–10–2013 से जिला शिक्षा अधिकारी माना गया है। जबकि अपीलार्थी दिनांक 14–8–2008 से इसी पद जिला शिक्षा अधिकारी स्तर यानि प्रधानाचार्य डाइट पर आज तक कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई थी एवं अपीलार्थी को दिनांक 13.10.2013 से जिला शिक्षा अधिकारी माना गया। अपीलार्थी दिनांक 14.08.2008 से उसी पद अर्थात् जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर प्रधानाचार्य, डाईट पर आज तक कार्यरत है। प्रधानाचार्य, डाईट का पद जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर का पद है। अपीलार्थी को समय–समय पर नियमानुसार वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया। विभाग द्वारा बिना किसी आधार के वसुली का आदेश जारी किया गया है, जो पुर्णतः नियम–विरूद्ध है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.08.2008 से लगातार प्रधानाचार्य डाइट के पद पर कार्यरत है। यह पद जिला शिक्षा अधिकारी का पद है, जिस पर अपीलार्थी का अनुभव करीब 6 साल 4 माह से अधिक का है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य डाइट के पद पर कार्य आरंभ दिनांक 14.08.2008 से जिला शिक्षा अधिकारी के पद का अनुभव मानते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जाये और आदेश दिनांक 14.10.2014 को संशोधित कर अपीलार्थी को वरिष्ठता 14.08.2008 से प्रदान की जाये और दिनांक 14.08.2008 से ही जिला शिक्षा अधिकारी के पद का अनुभव मानते हुए अपीलार्थी को उप निदेशक के पद की

डीपीसी में भी विचार हेतु समिल्लित किया जाये। अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलार्थी से वसुली के संबंध में जारी आदेश दिनांक 26.07.2013 एवं 12.07.2013 को निरस्त किया जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अपीलार्थी वर्ष 2013–14 की जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पदों की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 3.10.2013 को उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित है तथा उपनिदेशक एवं समकक्ष पद के लिए जिशिअ एवं समकक्ष पद पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। जो नियमानुसार दिनांक 01.04.2014 से आरंभ होता है। चूंकि अपीलार्थी का जन्मतिथि 03.05.1953 है और ये अपने अधिवार्षिक आयुपूर्ण दिनांक 31.05.2015 को ही राजकीय सेवा में सेवानिवृत है अतः उपनिदेशक पद पदोन्नति की मांग निराधार है। अपीलार्थी प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों की वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार चयनित अधिकारी था तथा प्रधानाचार्य, डाईट के पद पर कार्यरत अवधि में भी मूल पद प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद का ही अधिकारी रहा है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी था तथा विभाग द्वारा उनकी सेवायें कार्य संपादन हेतु आवश्यकता अनुसार कही भी ली जा सकती थी। किसी उच्च पद पर कार्य करने के आधार पर उपनिदेशक पद पदोन्नति का अधिकार मानना नियमानुसार नही है। शासन के आदेश दिनांक 06.06.2013 के द्वारा प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को पातेय वेतन पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर छः माह के लिए पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त पदस्थापन को पदोन्नति परिभाषित किया जाना गलत है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी था तथा विभाग द्वारा उनकी सेवायें कार्यं संपादन हेतु आवश्यकता अनुसार कहीं भी ली जा सकती थी, विभाग की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित किये जाने हेतु पातेय वेतन पर पदस्थापन की कार्यवाही की गई है ना की किसी प्रकार की पदोन्नति की कार्यवाही की गई। अपीलार्थी का वेतन निर्धारण त्रुटि होने के कारण पुनः संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही वित्तीय नियमों के तहत की गई है तथा संशोधित वेतन निर्धारण के आधार पर अधिक भुगतान की वसूली नियमानुसार है। विभाग के आदेश दिनांक 14.10.2014 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पदों की वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर दिनांक 03.10.2013 को उपलब्ध होने वाली रिक्ति के विरूद्ध चयन के आदेश प्रसारित किये गये थे। डीपीसी नियमों में प्रावधान है कि जिस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया जाता है उसके आगामी वर्ष से उक्त पद के अनुभव की गणना की जाती है। नियमानुसार प्रधानाचार्य, उमावि एवं

समकक्ष पद पर कार्यरत रहते हुए किसी उच्च पद पर पदस्थापित होने से निचले पद का अनुभव डीपीसी से चयन हेतु विचारणीय नही होता है। विभाग द्वारा अपीलार्थी को उनकी प्रधानाचार्य उमावि समकक्ष पदों की वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2013–14 को जिला शिक्षा अधिकारी एवं कमकक्ष पदों की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 03.10.2013 की रिक्ति के विरूद्व चयन की कार्यवाही नियमानुसार है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यापनपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 14.08.2008 से प्रधानाचार्य डाइट के पद पर कार्यरत है। बाद में अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति भी प्रदान की गई। जिला शिक्षा अधिकारी का पद प्रधानाचार्य डाइट के पद के समकक्ष है। ऐसे में अपीलार्थी को दिनांक 14.08.2008 से ही जिला शिक्षा अधिकारी के पद का अनुभव मानते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जाये।

4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.08.2008 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त था तथा विशेष चयन प्रक्रिया के तहत अपीलार्थी को प्रधानाचार्य (डाईट) के पद पर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश नियमों के तहत पदोन्नति का आदेश होना नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 14.10.2014 के द्वारा की गई। वर्ष 2008 में अपीलार्थी पदोन्नति के उपरांत प्रधानाचार्य (डाईट) के पद पर कार्यरत नहीं था बल्कि कार्यव्यवस्था के तहत कार्यरत था। ऐसे में अपीलार्थी को वर्ष 2008 से पदोन्नत होना नहीं माना जा सकता और अपीलार्थी 2008 से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी से वसुली किये जाने का प्रश्न है, तो अपीलार्थी को पूर्व में दी गई वेतन वृद्धि का लाभ गलत मानते हुए अपीलार्थी से अधिक वेतन वसूल किये जाने का आदेश दिनांक 26.07.2013 को पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।

5. उपरोक्त विवचेना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)